न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
अपील सं. 02/2023 G.C.M.S. No-2023/2
हनुमानसिंह वगै. vs किशनसिंह वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15/2/23	(see below)	

15/2/23

वकील अपीलांट एवं राजपैरोकार उपस्थित। हस्तगत अपील आज सुनवाई के क्षेत्राधिकार की बहस हेतु नियत है।

वकील अपीलान्ट श्री भगवानसिंह ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को ही है। यदि न्यायालय हाजा उक्त अपील को क्षेत्राधिकार की नहीं मानते है, एवं न्यायालय हाजा को उक्त अपील के विचारण की अधिकारिता प्राप्त नहीं है तो उपयुक्त न्यायालय में दाखिल करने की हिदायत देते हुए उक्त प्रकरण लौटाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया को सुना गया। राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत सहायक सेटलमेंट आफिसर के आदेश दिनांक 13.10.1960 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 (4) के अनुसार बन्दोबस्त अधिकारी में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सम्मिलित है। उक्त अधिनियम 1956 की धारा 75 पहली अपीले– 75 (ड़) के अनुसार बन्दोबस्त के संबंधित मामलों द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी या कलक्टर द्वारा पारित मूल आदेश की बन्दोबस्त आयुक्त को पहली अपील का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा सहायक सेटलमेंट ऑफीसर द्वारा पत्रावली संख्या–105/60 में पारित आदेश दिनांक 13.10.60 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है, परन्तु उक्त प्रावधानो अनुसार न्यायालय हाजा को उक्त अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त तर्क करते हुवे राजपेरोकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील वकील अपीलान्ट को लौटाई जावें।

वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में राजपैरोकार द्वारा किये गये कथन विधि अनुसार उचित है। अतः वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह मूल अपील वकील अपीलान्ट को पुनः लौटाई जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अपील की कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पीयुष समारिया)
कलक्टर, नागौर

कलक्टर नागौर

[illegible]

Noted by